बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

संख्या प्र02 वि01–60/2007 5254 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 (ख) तथा 10 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा (7) एवं (8) में यथा विनिदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 2 (छ) 3 एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति।
1	2	3	4
1	श्री मो0 खुर्शीद आलम	समस्तीपुर	रिक्त
2	श्री अजीत कुमार ओझा	सहरसा	रिक्त
3	श्री आलोक चन्द्र प्रसाद	पूर्णिया	रिक्त
4	श्री अशोक कुमार पाठक	भागलपुर	रिक्त
5	श्री अब्दूल सलाम	जहानाबाद	रिक्त
6	श्री विजय कुमार जैन	नवादा	रिक्त
7	श्री कामेश्वर नाथ राय	नालंदा	रिक्त
8	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	शिवहर	09.10.2012 से प्रभावी।
9	श्री ओम प्रकाश सिन्हा	सिवान	04.11.2012 से प्रभावी।
10	श्री नारायण पंडित	बक्सर	25.12.2012 से प्रभावी।
11	श्री दारोगा प्रसाद	सीतामढ़ी	20.12.2012 से प्रभावी।
12	श्री प्रमोद बहादुर माथुर	मुंगेर	06.10.2012 से प्रभावी।

2 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि/रिक्ति उपलब्धता की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नही करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नही किया जाएगा।

3 अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4 संबंधित पदाधिकारी अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देगें। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेगें। योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैं। वांछित प्रमाण–पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा) 22.8.12

प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र02 वि01 60/2007 5254 खाद्य, पटना/दिनांक 22/8/2012

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.8.12

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – प्र02 वि01 60/2007 5254 खाद्य, पटना/दिनांक 22/8/2012

प्रतिलिपि – अध्यक्ष, राज्य आयोग/निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लौक, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार,

पटना/संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित सभी पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा –02 एवं 05 को 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग,उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना से अनुरोध है कि, वे संबंधित नवनियुक्त पदाधिकारियों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रधान सचिव।